पटना में दिनांक–29 जनवरी, 2013 मंगलवार को अपराह्न 4:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

उद्योग विभाग

1.	वित्तीय वर्ष 2012–13 के अन्तर्गत संभाव्यता प्रतिवेदन/ सर्वेक्षण/ अध्ययन/ मोबिलाईजेशन, सफलता एवं अनुश्रवण शुल्क की योजना के लिए ₹ 1947.82 लाख (उनीस करोड़ सैतालीस लाख बेरासी हजार) की स्वीकृति का प्रस्ताव।	1.	स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

2.	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता तथा राज्य योजनान्तर्गत पटना शहर स्थित मिठापुर ROB से स्टेशन रोड होते हुए चिरैयाटांड पुल तक तथा चिरैयाटांड उपरी पुल (एक्जीविशन रोड आर्म) का गांधी मैदान तक विस्तारीकरण संबंधित कार्य कुल 167.85 करोड़ (एक सौ सड़सठ करोड़ पचासी लाख) रूपये के अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	2.	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

3.	बक्सर जिलान्तर्गत इटाढ़ी अंचल के मौजा–बिझौरा थाना नं०–267, खाता नं०–545, खेसरा नं०–1112, रकबा–12 डीसमिल (बारह डी०) अनाबाद सर्वसाधारण किस्म पिण्ड भूमि स्वास्थ्य उपकेन्द्र विझौरा के भवन निर्माण हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तांतरण के संबंध में।	3.	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

4.	बक्सर जिलान्तर्गत इटाढ़ी अंचल के मौजा–बसॉवकला, थाना नं०–515, खाता सं०–448, खेसरा सं०–470, रकबा–0.20 एकड़ (बीस डी०) अनाबाद सर्वसाधारण किस्म पिण्ड भूमि स्वास्थ्य उपकेन्द्र भवन निर्माण हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार को निःशुल्क अंतर्विभागीय स्थायी हस्तांतरण के संबंध में।	4.	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

5.	बक्सर जिलान्तर्गत इटाढ़ी अंचल के मौजा–महिला, थाना नं०–431, खाता नं०–356, खेसरा सं०–155, रकबा–0.15 एकड़ (पन्द्रह डी०) अनाबाद सर्व साधारण किस्म भिण्ड पोखर भूमि स्वास्थ्य उपकेन्द्र भवन निर्माण हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार को निःशुल्क अंतर्विभागीय स्थायी हस्तांतरण के संबंध में।	5.	स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

6.	डा० सलिल कुमार मिश्र तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी अति० प्रा० स्वा० केन्द्र, ताराजीवर मुजफ्फरपुर एवं डा० महेश्वर प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, ताराजीवर मुजफ्फरपुर को सेवा से बर्खास्त करने हेतु स्वीकृति।	6.	स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

7.	राज्य के गया जिला के चार प्रखण्डों मानपुर, बोधगया नगर प्रखण्ड एवं डोभी के अनुसूचित जाति बाहुल्य गाँवों/बसावटों में बाह्य संपोषित (डी०एफ०आई०डी०) 'स्वस्थ' (SWASTH) परियोजना के अन्तर्गत सौर ऊर्जा चालित पम्प के साथ 100 मिनी पाईप जलापूर्ति योजनाओं की 2975.00 लाख की राशि पर स्वीकृति।	7.	स्वीकृत।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

8.	बी०आई०टी० पटना में शैक्षणिक भवन के अर्धनिर्मित कार्यो को पूर्ण करने के लिए रू० 2 करोड़ (दो करोड़ रूपये) मात्र अतिरिक्त पूँजी निवेश की स्वीकृति तथा बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त कर वित्तीय वर्ष 2012–13 में उक्त राशि बी०आई०टी० पटना प्रबंधन को विमुक्त किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।	8.	स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

9.	वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए प्रशासनिक प्रशिक्षण हेतु बिपार्ड को कुल ₹ 2,55,30,000/–(दो करोड़ पचपन लाख तीस हजार) मात्र के सहायक अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।	9.	स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

(सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)

10.	सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय (समाज कल्याण विभाग) के अन्तर्गत राजकीय मूक बधिर मध्य विद्यालयों/नेत्रहीन मध्य एवं उच्च विद्यालयों के आवासीय छात्र/छात्राओं के दैनिक उपयोग की वस्तुओं यथा– भोजन, वस्त्र, दवा, पठन–पाठन सामग्री इत्यादि तथा विद्यालय एवं छात्रावास की साफ–सफाई हेतु आवश्यक सामग्रियों, स्वीपर एवं सुरक्षा गार्ड के पारिश्रमिक दर में संशोधन एवं दर वृद्धि की स्वीकृति।	10.	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

11. राज्य में संचालित 52 डायट/प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों में से 15 प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों के भवन निर्माण हेतु प्रति महाविद्यालय ₹ 1000.00 लाख (दस करोड़) रूपये की दर से कुल ₹ 15000.00 लाख (एक सौ पचास करोड़) रूपये की स्वीकृति तथा स्वीकृत राशि के विरूद्ध वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 में कार्य प्रारंभ करने हेतु प्रति महाविद्यालय ₹ 200.00 लाख (दो करोड़) रूपये की दर से कुल ₹ 30,00,00,000/–(तीस करोड़) रूपये की स्वीकृति एवं विमुक्ति।

11. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

12. अध्यापक शिक्षा की केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में राज्य के पूर्व से उत्क्रमित 24 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में से कुल 10 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), 6 वर्त्तमान वर्ष में उत्क्रमित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों, 4 प्रखंड अध्यापक शिक्षा संस्थानों के भवन निर्माण एवं उपकरण/उपस्कर मद में तथा 3 अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय एवं राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के भवनों के जीर्णोद्धार तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण महाविद्यालयों, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों एवं राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् के कार्यक्रम एवं गतिविधियाँ एवं अन्य मदों में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कुल ₹ 6101.49 लाख (एकसठ करोड़ एक लाख उन्चास हजार) रूपये, जिनमें केन्द्रांश ₹ 4576.12 लाख (पैंतालीस करोड़ छिहत्तर लाख बारह हजार) रूपये एवं राज्यांश ₹ 1525.37 लाख (पन्द्रह करोड़ पच्चीस लाख सैंतीस हजार) रूपये है, की स्वीकृति एवं विमुक्ति।

12. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

13. राज्य के नगर निकायों द्वारा नगर निकाय क्षेत्रों में अवस्थित धृतियों पर संपत्ति कर के निर्धारण, संग्रहण और वसूली के लिए बिहार नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 की स्वीकृति के संबंध में।

13. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

14. बिहार सम्पत्ति कर बोर्ड नियमावली, 2013 की स्वीकृति के संबंध में।

14. स्वीकृत।